



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 476] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 18, 2019/अग्रहायण 27, 1941
No. 476] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 18, 2019/AGRAHAYANA 27, 1941

केन्द्रीय भंडारण निगम

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2019

सं. सीडब्ल्यूसी/14-4/भर्ती.—केन्द्रीय भंडारण निगम, भंडागारण निगम अधिनियम, 1962 (1962 का 58) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से, केन्द्रीय भंडागारण निगम (कर्मचारीवृंद) विनियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय भंडागारण निगम (कर्मचारीवृंद) संशोधन विनियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय भंडागारण निगम (कर्मचारीवृंद) विनियम, 1986 के परिशिष्ट-2 में-

(क) शीर्षक "सामान्य प्रबंध संवर्ग" के अधीन:-

(i) महाप्रबंधक समूह के पद से संबंधित क्रम सं. 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

क्रम संख्या	पद का नाम	वर्गीकरण	पदों की संख्या	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	भर्ती की पद्धति
1	2	3	4	5	6	
1क	समूह महाप्रबंधक (प्रणाली)।	समूह 'क'	01	1,20,000-2,80,000/-रु. (औद्योगिक महंगाई भत्ता)	चयन।	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नतियाँ/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की दशा में वे पद जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति की जानी है	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में आयु सीमा और अन्य अर्हताएं लागू होंगी या नहीं	टिप्पणियां
7	8	9	10	11
<p>पदोन्नति: महाप्रबंधक (प्रणाली) के पद पर वेतनमान रु. 1,00,000—2,60,000 (औद्योगिक महंगाई भत्ता) में कार्यरत कारपोरेट के ऐसे अधिकारी जिन्होंने तीन वर्ष नियुक्ति सेवा की है।</p> <p>टिप्पण 1: प्रोन्नति साक्षात्कार द्वारा पद को भरने के लिए चयन पद्धति (सरकार के मार्गदर्शक सिद्धांत) के अतिरिक्त चयन समिति (विभागीय प्रोन्नति समिति) द्वारा भी विचार किया जाएगा।</p> <p>टिप्पण 2: विभागीय प्रोन्नति समिति वार्षिक कार्य संपादन रिपोर्ट के श्रेणीकरण के 80% वालों को महत्व देते हुए और साक्षात्कार के लिए 20% वालों को महत्व देते हुए।</p> <p>प्रतिनियुक्ति: पे मेट्रिक्स में लेवल-13 1,23,100—2,15,900 के पद पर कार्यरत सेवा (समूह 'क') या केन्द्रीय सचिवालय सेवा (समूह 'क') या केन्द्रीय सेवा (समूह 'क') से ऐसे अधिकारी जिनके पास किसी औद्योगिक परिसर में प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर डेवेलपमेंट या सिस्टम डेवेलपमेंट के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव सहित जिन्होंने समूचित सूचना तकनीकी नीति के लिए कंप्यूटराईज सिस्टम और नेटवर्क के प्रक्रिया, प्रबंधन और इसके रखरखाव जिसके अंतर्गत हार्डवेयर, अवसंरचना का विकास, नियोजन और क्रियान्वयन का अभिदर्शन का भी अनुभव है;</p> <p>अथवा</p> <p>वेतनमान रु. 1,00,000—2,60,000 (औद्योगिक महंगाई भत्ता) में कार्यरत महाप्रबंधक स्तर पर पब्लिक सेक्टर उपक्रम के ऐसे अधिकारी जिन्होंने किसी औद्योगिक परिसर में प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर डेवेलपमेंट या सिस्टम डेवेलपमेंट के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव सहित सूचना तकनीकी नीति के लिए कंप्यूटराईज सिस्टम और नेटवर्क के प्रक्रिया, प्रबंधन और इसके रखरखाव जिसके अंतर्गत हार्डवेयर, अवसंरचना का विकास, नियोजन और क्रियान्वयन का अभिदर्शन का भी अनुभव है।</p>	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सोमनाथ आचार्य, महाप्रबंधक (कार्मिक)

[विज्ञापन-III/4/असा./363/19]

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में संख्या-के.भा.नि./14-4/स्था. तारीख 28.02.1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात निम्नलिखित अधिसूचना द्वारा संशोधित किए गए:-

1. सीडब्ल्यूसी/14-4/स्था. तारीख 01.04.1987
2. सीडब्ल्यूसी/14-4/स्था. तारीख 19.06.1987
3. सीडब्ल्यूसी/14-4/स्था. तारीख 19.06.1987
4. सीडब्ल्यूसी/14-4/स्था. तारीख 29.01.1988
5. सीडब्ल्यूसी/14-4/स्था. तारीख 24.06.1988
6. सीडब्ल्यूसी/14-4/स्था. तारीख 09.06.1989
7. सीडब्ल्यूसी/14-4/स्था. तारीख 24.11.1989
8. सीडब्ल्यूसी/14-4/स्था. तारीख 15.10.1990

9. सीडब्ल्यूसी / 14-4 / स्था. तारीख 26.10.1990
10. सीडब्ल्यूसी / 14-4 / स्था. तारीख 30.11.1990
11. सीडब्ल्यूसी / 14-4 / स्था. तारीख 21.12.1990
12. सीडब्ल्यूसी / 14-4 / स्था. तारीख 08.02.1991
13. सीडब्ल्यूसी / 14-4 / स्था. तारीख 17.05.1991
14. सीडब्ल्यूसी / 14-4 / स्था. तारीख 04.10.1991
15. सीडब्ल्यूसी / 14-4 / स्था. तारीख 18.12.1992
16. सीडब्ल्यूसी / 14-4 / स्था. तारीख 29.12.1992
17. सीडब्ल्यूसी / 14-4 / स्था. तारीख 17.02.1993
18. सीडब्ल्यूसी / 14-4 / स्था. तारीख 08.03.1994
19. सीडब्ल्यूसी / 14-4 / स्था. तारीख 28.03.1995
20. सीडब्ल्यूसी / 14-4 / स्था. तारीख 14.11.1995
21. सीडब्ल्यूसी / 14-4 / स्था. तारीख 30.04.1996
22. सीडब्ल्यूसी / 14-4 / स्था. तारीख 28.05.1998
23. सीडब्ल्यूसी / 14-4 / स्था. तारीख 19.04.1999
24. सीडब्ल्यूसी / 14-4 / स्था. तारीख 10.06.1999
25. सीडब्ल्यूसी / 14-4 / स्था. तारीख 02.12.2002
26. सीडब्ल्यूसी / 14-4 / स्था. तारीख 27.02.2004
27. सीडब्ल्यूसी / 14-4 / स्था. तारीख 30.07.2004
28. सीडब्ल्यूसी / 14-4 / स्था. तारीख 28.01.2005
29. सीडब्ल्यूसी / 14-4 / स्था. तारीख 01.02.2006
30. सीडब्ल्यूसी / 14-4 / स्था. तारीख 31.03.2006
31. सीडब्ल्यूसी / 14-4 / स्था. तारीख 28.11.2006
32. सीडब्ल्यूसी / 14-4 / स्था. तारीख 28.11.2006
33. सीडब्ल्यूसी / 14-4 / स्था. तारीख 18.07.2008
34. सीडब्ल्यूसी / 14-4 / स्था. तारीख 17.02.2011
35. सीडब्ल्यूसी / 14-4 / स्था. तारीख 17.01.2014
36. सीडब्ल्यूसी / 14-4 / स्था. तारीख 11.04.2014
37. सीडब्ल्यूसी / 14-4 / स्था. तारीख 28.10.2014
38. सीडब्ल्यूसी / 14-4 / स्था. तारीख 21.09.2015
39. सीडब्ल्यूसी / 14-4 / स्था. तारीख 30.11.2015
40. सीडब्ल्यूसी / 14-4 / स्था. तारीख 30.12.2015
41. सीडब्ल्यूसी / 14-4 / स्था. तारीख 23.09.2016

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

(A GOVT OF INDIA UNDERTAKING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 2019

No. CWC/XIV-4/Rectt.—In exercise of powers conferred by section 42 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central Warehousing Corporation, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Central Warehousing Corporation (Staff) Amendment Regulations, 2019.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Warehousing Corporation (Staff) Regulations, 1986, in Appendix-II-

(a) under the heading "General Management Cadre":-

(i) after serial Number 1, relating to the post of Group General Manager and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

S.No.	Name of the Post	Classification	Number of posts	Scale of pay	Whether selection or non-selection post	Method of recruitment
	1	2	3	4	5	6
1A.	Group General Manager (System).	Group 'A'.	01.	Rs. 1,20,000-2,80,000/- (Industrial Dearness Allowance).	Selection.	Promotion failing which by deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation, posts from which to be made	Educational and other Qualification required for direct recruits	Age limit for direct recruits.	Whether age limit and other qualifications will apply to promotees	Remarks.
7	8	9	10	11
<p>Promotion : Officers of the Corporation working in the pay scale of Rs. 1,00,000-2,60,000/- (Industrial Dearness Allowance) in the post of General Manager (System) with three years regular service.</p> <p>Note 1 : For filling up the post by promotion interview shall also be conducted by the Selection Committee (Departmental promotion Committee) besides selection method (as per Government guidelines).</p> <p>Note 2: The Departmental Promotion Committee shall adopt the method of selection by prescribing 80% weightage of Annual Performance Report grading by following prescribed bench mark and 20% weightage for interview.</p> <p>Deputation: Officers from All India Services or Central Services (Group 'A') or Central Secretariat Services (Group 'A') working in the post in level -13 (Rs. 1,23,100 - 2,15,900) in the pay matrix with three years experience in the field of programming, software development or system development in an Industrial environment with exposure to planning and implementation of computerised systems and procedure, management of networks and its maintenance including hardware infrastructure development for appropriate Information Technology Policies; or Officers of the public sector undertakings at General Manager level working in the pay scale of Rs. 1,00,000-2,60,000/ (Industrial Dearness Allowance) with three years</p>	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

experience in the field of programming, software development or system development in an Industrial environment with exposure to planning and implementation of computerised systems and procedure, management of networks and its maintenance including hardware infrastructure development for appropriate Information Technology Policies.				
---	--	--	--	--

SOMNATH ACHARYA, General Manager (Personnel)

[ADVT.-III/4/Exty./363/19]

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section 4, *vide* Notification No. CWC/XIV-4/Estt., dated the 28th February, 1986 and subsequently amended *vide* following notification numbers:-

1. CWC/XIV-4/Estt. Dated 1st April, 1987
2. CWC/XIV-4/Estt. Dated 19th June, 1987
3. CWC/XIV-4/Estt. Dated 19th June, 1987
4. CWC/XIV-4/Estt. Dated 29th January, 1988
5. CWC/XIV-4/Estt. Dated 24th June, 1988
6. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 9th June, 1989
7. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 24th November, 1989
8. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 15th October, 1990
9. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 26th October, 1990
10. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 30th November, 1990
11. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 21st December, 1990
12. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 8th February, 1991
13. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 17th May, 1991
14. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 4th October, 1991
15. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 18th December, 1992
16. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 29th December, 1992
17. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 17th February, 1993
18. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 8th March, 1994
19. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 28th March, 1995
20. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 14th November, 1995
21. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 30th April, 1996
22. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 28th May, 1998
23. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 19th April, 1999
24. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 10th June, 1999
25. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 2nd December, 2002
26. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 27th February, 2004
27. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 30th July, 2004
28. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 28th January, 2005

29. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 1st February, 2006
30. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 31st March, 2006
31. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 28th November, 2006
32. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 28th November, 2006
33. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 18th July, 2008
34. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 17th February, 2011
35. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 17th January, 2014
36. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 11th April, 2014
37. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 28th October, 2014
38. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 21st September, 2015
39. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 30th November, 2015
40. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 30th December, 2015
41. CWC/XIV-4/Rectt. Dated 23rd September, 2016